

[TO BE PUBLISHED IN DELHI GAZETTE PART- IV EXTRA –ORDINARY]
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(TRANSPORT DEPARTMENT)
5/9, UNDER HILL ROAD, DELHI-54.

No.F. 19(96)/Tpt./Sectt./2010/16

Dated the 5th February, 2016

NOTIFICATION

F. No. 19(96)/Tpt./Sectt./2010/16 . – In exercise of the powers conferred by section 115 of the Motor Vehicles Act 1988(Act No. 59 of 1988), Government of the National Capital Territory of Delhi on being satisfied that it is necessary in the interest of public safety and convenience of the general public of Delhi to regulate movement of heavy goods, medium goods and light goods vehicles on Delhi/New Delhi roads/areas, do hereby amend the notification no. Sec. 10(164)Tpt/98/625 dated 11/02/2000 for the purpose of the prohibition of timing of plying and idle parking of heavy goods, medium goods and light goods vehicles on the roads and areas against each category of vehicle during specified timings as enlisted in the scheduled annexed with the said notification in the following manner:-

S. No.	Annexure number of aforementioned notification dated 11/02/2000.	Number of roads/areas in the annexure.	Prohibition timings as per aforementioned notification dated 11/02/2000.	Prohibition timings as per this notification.
1.	Annexure - 2	54	07:30 AM to 09:30 PM	07:00 AM to 11:00 PM
2.	Annexure - 3	29	07:30 AM to 11:00 AM and 05:00 PM to 09:30 PM	07:00 AM to 11:00 AM and 05:00 PM to 11:00 PM
3.	Annexure - 4	121	08:00 AM to 11:00 AM and 05:00 PM to 09:00 PM	07:00 AM to 11:00 AM and 05:00 PM to 11:00 PM

This notification shall come into effect from the date of its publication in the official Gazette.

By Order and in the name of Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi.

(K.K. Dahiya)
Secretary STA & Spl. Commr.(Transport)

(दिल्ली राजपत्र भाग चार असाधारण में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(परिवहन विभाग)
5/9, अंडर हिल रोड, नई दिल्ली

No.F. 19(96)/Tpt./Sectt./2010/16

दिनांक: 05.02., 2016

अधिसूचना

No.F.19(96)/TPT/Sectt./2010/16 . – मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 115 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार सन्तुष्ट हैं कि जनसुरक्षा की दृष्टि से तथा आम जनता की सुविधा के लिए यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली / नई दिल्ली की सड़कों / क्षेत्र पर भारी मालवाहन, मझोले माल वाहन तथा हल्के माल वाहनों के आने – जाने को विनियमित करने हेतु अधिसूचना संख्या फा. सं. सचिव (10)/164/परि./98/625. दिनांक 11, फरवरी, 2000 के साथ संलग्न अनुसूची में तथा विनिर्दिष्ट समय के दौरान वाहन की प्रत्येक श्रेणी के सामने उल्लिखित सड़कों पर तथा क्षेत्रों में भारी वाहन मझोले वाहन तथा हल्के वाहन चलाने तथा खड़े रखने निष्प्रयोजन पार्किंग के निषेध समय को निम्न रूप में संशोधित किया जाता है ।

संख्या न0	उपर उल्लिखित दिनांक 11/02/2000 की अधिसूचना, का परिशिष्ट नंबर	परिशिष्ट में सड़कों / क्षेत्रों की संख्या	उपर उल्लिखित दिनांक 11/02/2000 की अधिसूचना के अनुसार निषेध समय	इस अधिसूचना के अनुसार प्रभावी निषेध समय
1.	परिशिष्ट – 2	54	प्रातः 07:30 बजे से रात्रि 09:30 बजे तक ।	प्रातः 07:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक ।
2.	परिशिष्ट – 3	29	प्रातः 07:30 बजे से 11:00 बजे तक तथा सायं 05:00 बजे से रात्रि 09:30 बजे तक ।	प्रातः 07:00 बजे से 11:00 बजे तक तथा सायं 05:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक ।
3.	परिशिष्ट – 4	121	प्रातः 08:00 बजे से 11:00 बजे तक तथा सायं 05:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक ।	प्रातः 07:00 बजे से 11:00 बजे तक तथा सायं 05:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक ।

यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में अपनी प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

(के.के. दहिया)
सचिव राज्य परिवहन प्राधिकरण
एवं विशेष आयुक्त (परिवहन)